कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, सतपुडा भवन भोपाल
कक्ष:- विकास
ई-मेल-apccfdev@mp.gov.in , फ़ोन न. 07552674216

क्रमांक/एफ-2/3620 दिनांक 20-10-2020

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक

समस्त क्षेत्रीय वन मंडल अधिकारी

मध्य प्रदेश

विषय: बिगड़े वनों के सुधार में निजी निवेश हेतु उपयुक्त बिगड़े वन क्षेत्रों का चयन करने बाबत।

मध्यप्रदेश में कुल अधिसूचित 94689 वर्ग किमी वन क्षेत्र में से कार्य आयोजनाओं के अनुसार, वन्यप्राणी एवं वन विकास निगम द्वारा प्रबंधित वनक्षेत्र को छोड़कर, लगभग 37420 वर्ग किमी, छत्र घनत्व 0.4 से कम होने के कारण, बिगड़े वन क्षेत्र की श्रेणी में वर्गीकृत है। स्थानीय समुदायों की आजीविकाओं को सुदृढ़ करने एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अल्पीकरण एवं पारिस्थितिकीय सेवाओं जैसे - जल चक्र आदि के सतत संचालन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वन के आच्छादन को बढ़ाने के लिए बिगड़े वन क्षेत्रों को तेज़ी से पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। वन क्षेत्रों के सुधार हेतु पूँजी, नवीन तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौशल को लाने में "निजी निवेश" की सकारात्मक भूमिका को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश शासन स्तर पर बिगड़े वन क्षेत्रों की उत्पादकता में अभिवृद्धि के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु सैद्धांतिक सहमति बनी है। बिगड़े वनों के सुधार में निजी निवेश के माध्यम से वानिकी क्षेत्रक में पूंजी, नवीन तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौशल को बढ़ावा देने के प्रमुख उद्देश्यों का विवरण निम्नानुसार है –

i. अल्पावधि में स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना तथा दीर्घावधि में प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित आजीविका को सुदृढ़ करना।

ii. काष्ठ आधारित उद्योगों को आयातित कच्चे माल के स्थान पर स्थानीय उत्पाद उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करना।

iii. हरियाली आच्छादन से पारिस्थितिकीय सेवाओं का सतत संचालन, कार्बन अवशोषण (Carbon Sequestration) से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अल्पीकरण हेतु देश के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करना।

बिगड़े वनों के सुधार हेतु निजी निवेश के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया – भारत सरकार से स्वीकृति के उपरांत निजी निवेश आमंत्रित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी। वन क्षेत्र पर आश्रित समुदाय की सहमति से बिगड़े वनों के सुधार में निजी निवेश से वनीकरण परियोजना को लागू किया जाएगा। कार्य सम्पादन के लिए मध्य प्रदेश शासन, निवेशक एवं स्थानीय समुदाय के बीच सभी ज़िम्मेदारियों एवं अधिकारों को समाहित करके त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध की अवधि 30 वर्ष के लिए होगी। निजी निवेशक से अनुबंध के तहत प्राप्त होने वाली आय का 50% हिस्सा राज्य शासन द्वारा ग्राम वन समिति/ ग्राम सभा को दिया जाएगा। वनक्षेत्र के विवरण एवं आदर्श अनुबंध की शर्तों के आधार पर निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए रूचि-प्रकटन (Expression of Interest) जारी की जाएगी। चयनित निवेशकों को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (Request for Proposal) भेजकर तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा। तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन करके, केवल अर्हता (Qualify) प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे। अधिकतम वित्तीय प्रस्ताव देने वाले प्रतियोगी का चयन किया जाएगा।

क्षेत्र का चयन – निजी निवेश के लिए प्रथम चरण में प्रत्येक वनमंडल में अच्छी सम्भावनाओं वाले कुछ स्थलों का चयन किया जाएगा। क्षेत्र का चयन निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा –

i. वनमंडल की कार्य योजना के अंतर्गत पुनर्स्थापना कार्यवृत्तों के अंतर्गत लिए गए आरक्षित या संरक्षित वन क्षेत्र में से ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जाएगा जिसमें 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र 0.2 छत्र घनत्व से कम वाल क्षेत्र हो।

ii. एक स्थान पर 500 से 1000 हेक्टेयर निकटस्थ वन क्षेत्र को शामिल करके एक कार्य इकाई (Working Unit) का गठन किया जाएगा। यथासम्भव कार्य इकाई के गठन के लिए चयनित वन कक्ष एक दूसरे से लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित होने चाहिए।

iii. सम्पूर्ण क्षेत्र पूरी तरह से अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए।

iv. यदि वन क्षेत्र के साथ सटी हुई शासकीय राजस्व भूमि हो तो उसे भी शामिल करके प्रस्ताव बनाया जा सकता है, किंतु इसके लिए ज़िला कलेक्टर की अनुमति आवश्यक होगी।

v. चयनित वन क्षेत्र में अधिकांशत: वृक्षारोपण के लिए गहरी एवं उपयुक्त मृदा होनी चाहिए।

vi. यथा सम्भव ऐसे क्षेत्र का चयन कारने को प्राथमिकता दी जाए जहां सिंचाई के लिए पानी का साधन उपलब्ध हो सके।

vii. चयनित वन क्षेत्र के समस्त सीमा चिन्हों (Boundry Pillars) का मौक़े पर निरीक्षण किया जाएगा तथा मुनारों की स्थिति को एक मीटर से बेहतर शुद्धता के जीपीएस उपकरण से रिकार्ड किया जाएगा।

वनमंडल अधिकारी उपरोक्त विवरण के अनुसार क्षेत्र का चयन करके स्वयं उसका निरीक्षण करेंगे एवं संलग्न प्रपत्र में जानकारी तैयार करके, मानचित्र सहित, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से 15 दिवस के अंदर इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

20/10/2020

(राजेश श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक/ २एफ-2/3621 भोपाल, दिनांक 20-10-2020

प्रतिलिपि :

1. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वनविभाग, सतपुडा भवन, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(राजेश श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्य प्रदेश, भोपाल

निजी निवेश हेतु चयनित बिगड़े वन क्षेत्र का विवरण

वनमंडल –

उप वनमंडल –

परिक्षेत्र –

कार्य इकाई का नाम* –

1. कार्य इकाई में सम्मिलित वन क्षेत्र –

बीट का नाम	ग्राम वन समिति का नाम	कक्ष क्रमांक (RF/PF सहित)	कक्ष का क्षेत्रफल (हे)	कार्य इकाई में शामिल क्षे. (हे)
योग				

*किसी स्थानीय मुख्य बसाहट या भौगोलिक संरचना के आधार पर कार्य इकाई को नाम दिया जाए।

2. कार्य इकाई में शामिल वन क्षेत्र का कक्षवार सामान्य विवरण –

कक्ष क्रमांक (RF/PF सहित)	भू -आकृति (Topgraphy)	चट्टान का प्रकार (Unerlaying Rock)	मृदा का प्रकार (Soil Type)	भू-जल का स्तर/ अन्य साधन	मुख्य प्रजातियाँ, बांस सहित

3. कार्य इकाई में शामिल वन कक्षों में सस्य एवं स्थल गुणवत्ता का विवरण –

वन क्षेत्र में संनिधि विवरण		कक्ष क्रमांक							योग क्षेत्रफल
		1	2	3	4	5	6	7	
घनत्व के आधार पर वन का क्षेत्रफल (हे)	BL-1								
	BL-2								
	BL-3								
	BL-4								
	US-1								
	US-2								
	US-3								
	US-4								
	0.4 से अधिक								
योग क्षेत्र. (हे)									
स्थल गुणवत्ता वर्ग वार क्षेत्रफल (हे)	III								
	IVa								
	IVb								
	V								
योग क्षेत्र. (हे)									
वन प्रकार वार क्षेत्रफल (हे)	सागौन								
	साल								
	मिश्रित								
योग क्षेत्र. (हे)									

(वनमंडल अधिकारी)

———————वनमंडल